



2026:AHC:50557

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4725 सन् 2026

सतीश कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 23 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : राज कमल सिंह, राज किशोर यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता है और उसने प्रतिवादी संख्या 2- अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), प्रथम, आगरा डिवीजन, आगरा द्वारा पारित दिनांक 10.06.2025 के आदेश और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत शुरू की गई कार्यवाही के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3-अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व और वित्त), 2006 जिला फिरोजाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

2. पूरी रिट याचिका में कुछ भी नहीं कहा गया है और न ही कोई तर्क दिया गया है कि उपरोक्त आदेशों से याचिकाकर्ता के साथ क्या पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

3. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

मार्च 12, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"